अनुदान संख्या 49 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 49 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	375,01,00	1530,25,00	1469,00,37	- 61,24,63
पूरक	Supplementary	1155,24,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				60,21,00
पूंजीगत :	**Capital :**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	506,70,00	738,18,00	640,42,87	- 97,75,13
पूरक	Supplementary	231,48,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				97,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	30341.00	139165.00	139164.78	-0.22
पू.	S.	114882.00			
पु.	R.	- 6058.00			

(I) ₹3902.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹3900.00 लाख "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹3902.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these ₹3900.00 lakhs accounted for under "Engineering Industries - Other Engineering Industries" -under the following heads:-

(का) "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता" - ₹1500.00 लाख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से कोई मांग न होने के कारण थे।

(A) "Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme" –₹1500.00 lakhs - due to no demand from the Central Public Sector Enterprises.

(खा) "पूंजीगत माल क्षेत्र का आधुनिकीकरण" - ₹2400.00 लाख प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(B) "Modernisation of Capital Goods Sector"– ₹2400.00 lakhs - due to non-approval of the proposal.

(II) "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय" - ₹2500.00 लाख की बचत (₹2725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Industrial Education, Research and Training - Expenditure in connection with Science and Technology Plan" - saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2725.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Research and Development Institutions.

(खा) "अन्य व्यय - औद्योगिक संघों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संवर्धनात्मक कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए सहायता अनुदान संबंधी स्कीम" - ₹187.53 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Scheme of Grants-in-aid to Industrial Associations and PSUs for undertaking promotional activities" - saving of ₹187.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹520.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के अनुमोदित पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता/कर्ज बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹114297.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था ।

2. The above savings were partly (₹520.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹114297.00 lakhs in March, 2011 under "Engineering Industries – Other Engineering Industries – Interest Subsidy/write off of loans as part of approved restructuring plan of Hindustan Machine Tools Limited".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹9775.13 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹23148.00 लाख के पूरक अनुदान का 42 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹ 9775.13 lakhs) constituted 42 percent of the supplementary grants of ₹23148.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 13 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads : -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3700.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 3700.00			
मुख्य शीर्ष "4854"	Major Head "4854"				
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	501.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 501.00			
मुख्य शीर्ष "4858"	Major Head "4858"				
इंजीनियरी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	3889.00			
पू.	S.	2.00	3402.00	3400.12	-1.88
पु.	R.	- 489.00			
मुख्य शीर्ष "4860"	Major Head "4860"				
उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	603.00			
			100.00	100.00	..
पु.	R.	- 503.00			
मुख्य शीर्ष "6854"	Major Head "6854"				
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-15000.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"				
इंजीनियरी उद्योग के लिए कर्ज	Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	26377.00			
पू.	S.	23146.00	56035.00	56034.75	-0.25
पु.	R.	6512.00			
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"				
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	600.00			
			4508.00	4508.00	..
पु.	R.	3908.00			

(I) ₹49088.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹49078.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹49088.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹ 49078.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4552" -

(A) Major Head "4552" -

(क) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लि." - ₹800.00 लाख; और

(a) "Other Engineering Industries – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Andrew Yule & Co. Ltd."– ₹800.00 lakhs; and

(ख) "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिन्दुस्तान पेपर निगम लि."- ₹2900.00 लाख।

(b) "Paper and Newsprint – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Ltd." - ₹2900.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balance of previous year with Central Public Sector Enterprises.

(खा) मुख्य शीर्ष "4854" - "अन्य - अन्य व्यय - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निवेश" - ₹500.00 लाख;

(B) Major Head "4854" - "Others - Other Expenditure - Investment for Addition, Modification and Replacement in PSEs" - ₹500.00 lakhs;

(गा) मुख्य शीर्ष "4858" -

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - स्कूटर इंडिया लि. में निवेश" - ₹201.00 लाख; और

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" -

(i) "एचएमटी लि. में निवेश" -₹1002.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान" - ₹2500.00 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त न होने/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "4860" - "अन्य - नमक - हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. में निवेश"- ₹500.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुन: प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन" - ₹15000.00 लाख पुन: प्रवर्तन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(चा) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(क) "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करना और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - ₹25000.00 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन: प्रवर्तन स्कीम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "4858" -

(a) "Transport Equipment Industries- Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Scooters India Ltd." - ₹201.00 lakhs; and

(b) "Other Engineering Industries - Investment in Public Sector and Other Undertakings-

(i) "Investment in HMT Ltd." - ₹1002.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non- receipt of proposals.

(ii) "Lump-sum provision for Restructuring of PSEs" - ₹2500.00 lakhs - due to non-receipt of the proposals from PSEs/re-appropriation of funds for restructuring of the PSEs.

(D) Major Head "4860" - "Others - Salt- Investment in Hindustan Salts Ltd." - ₹ 500.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(E) Major Head "6854" - "Others - Other Loans- Implementation of revival schemes of PSEs" - ₹15000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various public sector enterprises under revival schemes.

(F) Major Head "6858" - "Other Engineering Industries –Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(a) "Implementation of Voluntary Retirement Schemes(VRS) and payment of statutory dues" - ₹ 25000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme and payment of statutory dues.

(ख) "भारत भारी उद्योग निगम लि. को कर्ज" - ₹175.00 लाख; और

(b) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd."- ₹175.00 lakhs; and

(छा) मुख्य शीर्ष "6860" - "अन्य - नमक - हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. को कर्ज" - ₹500.00 लाख।

(G) Major Head "6860" - "Others – Salt - Loans to Hindustan Salts Ltd." - ₹500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3220.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (₹3220.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "4858" - "Other Engineering Industries - Investments in Pubic Sector and Other Undertakings" – under the following heads:-

(का) "इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. में निवेश" - ₹855.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹854.00 लाख था।

(A) "Investment in Instrumentation Ltd." – ₹855.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹854.00 lakhs.

(खा) "भारत भारी उद्योग निगम लि. में निवेश" - ₹2365.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2364.12 लाख था।

(B) "Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." - ₹2365.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2364.12 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "6858" -

(A) Major Head "6858" -

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज -स्कूटर इंडिया लि. को कर्ज" - ₹4480.00 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Scooters India Ltd." - excess of ₹4480.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(b) "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings" -

(i) "हिन्दुस्तान केबल्स लि. को कर्ज" - ₹10895.90 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(i) "Loans to Hindustan Cables Ltd."- excess of ₹10895.90 lakhs (against nil provision);

(ii) "एचएमटी लि. को कर्ज" - ₹15779.85 लाख का अधिक व्यय (₹23146.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹24148.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड को कर्ज - कर्मचारियों को वेतन/ मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - ₹288.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) "तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड को कर्ज - कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - ₹243.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "Loans to HMT Ltd." – excess of ₹15779.85 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24148.00 lakhs including supplementary grant of ₹23146.00 lakhs);

(iii) "Loans to Triveni Structure Ltd.- payment of salaries/wages and statutory dues of employees"- excess of ₹288.00 lakhs (against nil provision);

(iv) "Loans to Tungbhadra Steel Products Ltd - payment of salaries/wages and statutory dues of employees" – excess of ₹243.00 lakhs (against nil provision);

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" -

(क) "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(i) "नेपा लिमिटेड को कर्ज" - ₹2820.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड को कर्ज"- ₹361.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य - फोटो फिल्म्स - हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को कर्ज" - ₹1227.00 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन: प्रवर्तन स्कीम लागू करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए पुनिर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण एकमुश्त प्रावधान से किए जाने के कारण था।

(B) Major Head "6860" –

(a) "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(i) "Loans to Nepa Ltd."- excess of ₹2820.00 lakhs (against nil provision);

(ii) "Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd".- excess of ₹ 361.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Others - Photo Films - Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - excess of ₹1227.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs).

Excess under the above eight heads was due to transfer of funds by re-appropriation from lump-sum provision for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme and payment of statutory dues.